# अध्याय 3

# सामान्य

## 3.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन के भाग–तीन में दो अध्याय क्रमशः अध्याय–तीन सामान्य और अध्याय–चार राजस्व क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा हैं। अध्याय–तीन छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का विहंगावलोकन, 2016–17 से 2020–21 की पाँच वर्ष की अवधि में प्राप्तियों के प्रवृत्ति का विश्लेषण एवं बकाया करों, जो 31 मार्च 2021 की स्थिति में वसूली हेतु लंबित हैं, का विवरण प्रस्तुत करता है। आगे, राज्य के राजस्व प्राप्तियों की जाँच हेतु लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को रेखांकित एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई है।

अध्याय–चार में ''वस्तु एवं सेवा कर के संक्रमणकालीन क्रेडिट'', ''वस्तु एवं सेवा कर का प्रतिदाय'' और ''वाणिज्यिक कर विभाग'' के तीन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वंतत्र मूल्यांकन है कि क्या दी गई विषय वस्तु (गतिविधि, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन–देन, किसी ईकाई अथवा ईकाइयों के समूह के संबंध में जानकारी) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं इत्यादि एवं सुदृढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतो एवं लोक अधिकारियों के आचरण का सभी तरह से अनुपालन करता है।

भाग–तीन की लेखापरीक्षा आपत्तियां संबंधित शासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के नमूना जाँच परिणामों पर आधारित है। इन विभागों की अन्य ईकाइयां जो नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं थी, में भी समान अनियमितताएं, त्रुटियां/चूक हो सकती है। अतः विभागों को सभी ईकाइयों का परीक्षण करना चाहिए जिससे सुनिश्चित हो कि कर का आंकलन, निर्धारण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध किया जाना अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

## 3.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (कर तथा कर–भिन्न राजस्व, राज्य को दिये गये विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से का निवल आगम, वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान) और पूर्ववर्ती तीन वर्षों हेतु छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 3.1** में वर्णित है:

**तालिका 3.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

*(₹ करोड़ में)*

| स. क्र. | विवरण | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व | | | | | |
| | कर राजस्व | 18,945.21 | 19,894.68 | 21,427.26 | 22,117.85 | 22,889.20 |
| | विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत | **10.95** | **5.01** | **7.70** | **3.22** | **3.49** |
| | कर–भिन्न राजस्व | 5,669.25 | 6,340.42 | 7,703.02 | 7,933.77 | 7,136.95 |
| | विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत | **8.71** | **11.84** | **21.49** | **3.00** | **–10.04** |
| | **योग** | **24,614.46** | **26,235.10** | **29,130.28** | **30,051.62** | **30,026.15** |
| 2. | भारत सरकार से प्राप्तियाँ | | | | | |
| | विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम | 18,809.16 | 20,754.81 | 23,458.69 | 20,205.84 | 20,337.54 |
| | सहायता अनुदान[1] | 10,261.63 | 12,657.17 | 12,505.96 | 13,611.24 | 12,812.49 |
| | **योग** | **29,070.79** | **33,411.98** | **35,964.65** | **33,817.08** | **33,150.03** |
| 3. | राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 + 2) | **53,685.25** | **59,647.08** | **65,094.93** | **63,868.70** | **63,176.18** |
| 4. | 1 का 3 से प्रतिशत | **46** | **44** | **45** | **47** | **48** |

*(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)*

संसाधनों के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का आकलन वित्त आयोग के अनुशंसा पर आधारित राज्य के हिस्से का केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान को छोड़कर कर राजस्व एवं कर–भिन्न राजस्व के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- राज्य के कर राजस्व में 2016–21 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान 3.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2016–20 के दौरान राज्य के कर–भिन्न राजस्व में भी वृद्धि हुई थी परंतु पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान 10.04 प्रतिशत की कमी मुख्य रूप से गैर–लौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों, ब्याज प्राप्तियों, लघु सिंचाई, लोक निर्माण आदि के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी के कारण हुई।
- जबकि 2020–21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 48 प्रतिशत कर और कर–भिन्न राजस्व सहित राज्य के अपने संसाधनों से जबकि कुल राजस्व का 52 प्रतिशत विभाज्य केन्द्रीय करों और शुल्कों का निबल आय के हिस्से एवं भारत सरकार के सहायता अनुदान से प्राप्त हुआ।

वर्ष 2020–21 के लिए राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों का चित्रांकन **चार्ट 3.1** में दिया गया है:

[1] केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, को वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य अंतरण/अनुदान (इसमें भारत सरकार से प्राप्त वस्तु एवं सेवा कर पर क्षतिपूर्ति भी शामिल है)।

चार्ट 3.1 वर्ष 2020–21 के राज्य के राजस्व का विच्छेद

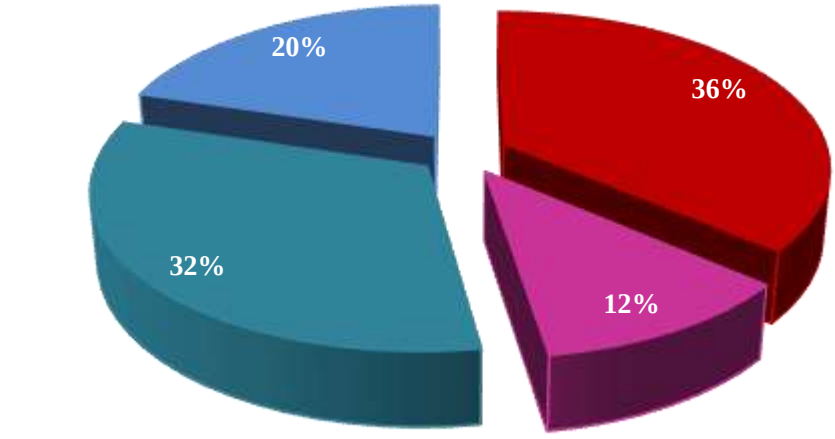


### *3.2.1 कर राजस्व*

वर्ष 2020–21 के लिए कर राजस्व के विभिन्न घटकों का चित्रांकन **चार्ट 3.2** में दिया गया है:

चार्ट 3.2 वर्ष 2020–21 के कर राजस्वों का विच्छेद (₹ करोड़ में)

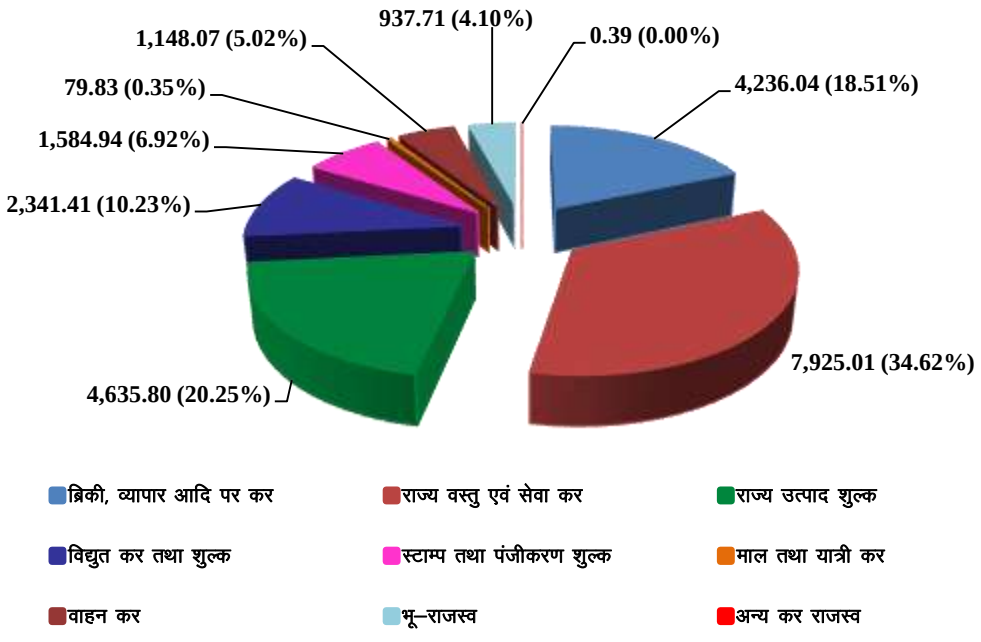


वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान कर राजस्व का बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ **तालिका 3.2** में दी गई है:

**तालिका 3.2: शासन द्वारा संग्रहित कर राजस्व का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| राजस्व शीर्ष | | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में अंतर का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | **बजट अनुमान** | 11,928.37 | 13,444.70 | 3,718.42 | 3,788.30 | 4,144.86 | |
| | **वास्तविक** | 9,927.21 | 6,449.60 | 4,087.72 | 3,931.37 | 4,236.04 | (+) 7.75 |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर[2] | **बजट अनुमान** | लागू नहीं | 3,212.82 | 5,006.65 | 8,201.70 | 10,700.92 | |
| | **वास्तविक** | लागू नहीं | 4,386.56 | 8,203.41 | 7,894.82 | 7,925.01 | (+) 0.38 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | **बजट अनुमान** | 3,870.00 | 3,168.50 | 4,355.00 | 5,000.00 | 5,199.72 | |
| | **वास्तविक** | 3,443.51 | 4,054.01 | 4,489.03 | 4,952.36 | 4,635.80 | (–) 6.39 |
| विद्युत कर तथा शुल्क | **बजट अनुमान** | 1,575.00 | 1,650.00 | 1,850.00 | 2,090.00 | 2,200.00 | |
| | **वास्तविक** | 1,495.48 | 1,688.95 | 1,790.27 | 1,837.00 | 2,341.41 | (+) 27.46 |
| स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | **बजट अनुमान** | 1,485.00 | 1,550.00 | 1,790.00 | 1,550.00 | 1,705.00 | **(-) 3.04** |
| | **वास्तविक** | 1,211.35 | 1,197.47 | 1,108.46 | 1,634.63 | 1,584.94 | |
| वस्तु तथा यात्री कर[3] | **बजट अनुमान** | 1,563.77 | 1,767.06 | 5.63 | 0 | 3.00 | **(+) 97.08** |
| | **वास्तविक** | 1,340.35 | 477.66 | 54.51 | 40.51 | 79.83 | |
| वाहन कर | **बजट अनुमान** | 954.11 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | **(-) 9.95** |
| | **वास्तविक** | 985.27 | 1,180.01 | 1,204.85 | 1,274.85 | 1,148.07 | |
| भू–राजस्व | **बजट अनुमान** | 550.00 | 600.00 | 660.00 | 700.00 | 600.00 | **(+) 70.03** |
| | **वास्तविक** | 503.66 | 446.41 | 487.57 | 551.50 | 937.71 | |
| अन्य कर राजस्व[4] | **बजट अनुमान** | 37.85 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | **(-) 51.85** |
| | **वास्तविक** | 38.38 | 14.01 | 1.44 | 0.81 | 0.39 | |
| **योग** | **बजट अनुमान** | **21,964.10** | **26,633.46** | **18,885.70** | **22930.00** | **26,155.00** | **(+) 3.49** |
| | **वास्तविक** | **18,945.21** | **19,894.68** | **21.427.26** | **22,117.85** | **22,889.20** | |

*(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)*

बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अंतर्गत वर्ष 2016–18 के दौरान प्राप्तियां, राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में दर्शाई गई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी परंतु 2018–19 से 2020–21 के दौरान बजटीय अनुमानों से अधिक थी। राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत प्राप्तियां 2019–21 के दौरान अपने बजटीय अनुमानों में दर्शाई गई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी लेकिन 2019–21 के दौरान राज्य के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्त्रोत बन गई थी। 2018–21 के दौरान माल और यात्रियों पर कर बजटीय अनुमानों से अधिक था, जबकि वाहनों पर कर 2017–21 के दौरान अनुमानित अपेक्षाओं से मेल

---

[2] राज्य वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी), सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे की मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर एवं क्रय कर को राज्य वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किया गया है।

[3] 2020–21 की अवधि के दौरान माल तथा यात्री कर का प्रमुख भाग (84 प्रतिशत) प्रवेश कर से है, जिसे समाप्त कर 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित कर दिया गया है।

[4] 'अन्य' में वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैः होटल प्राप्ति कर (₹ 18.08 लाख); आय और व्यय पर अन्य कर (₹ 20.77 लाख) और वस्तुओं और अन्य सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 0.27 लाख)।

नही खा सके। बजट अनुमान के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए वास्तविक राजस्व की वर्षवार तुलना नीचे **चार्ट 3.3** में दर्शाई गई है।

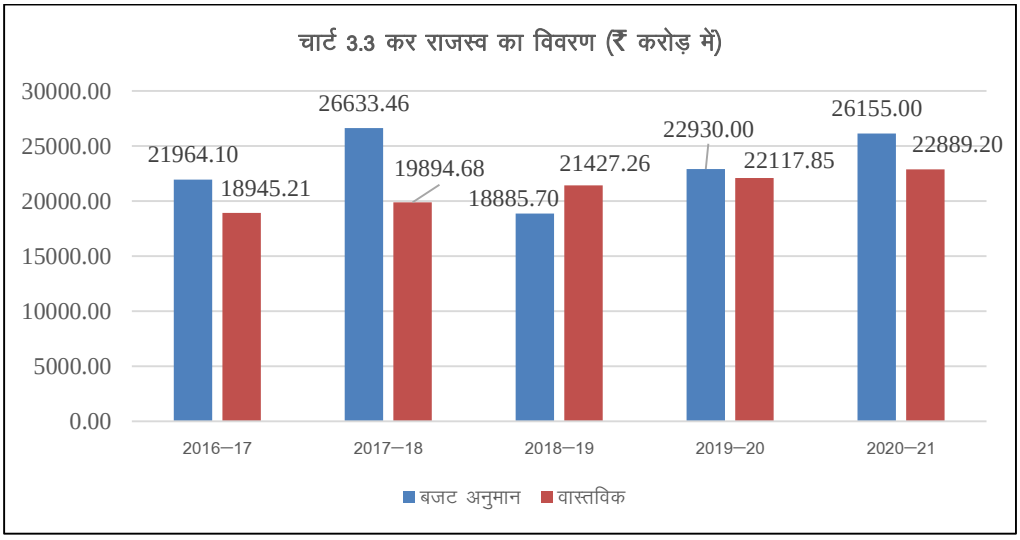


जैसा कि **चार्ट–3.3** से देखा जा सकता है, वर्ष 2018–19 को छोड़कर, शासन द्वारा उद्ग्रहित कर राजस्व बजट में दर्शाये गए मूल अनुमानों के समतुल्य नहीं रहा था। जबकि शासन की वास्तविक कर प्राप्तियों ने 2016–21 के दौरान निरंतर वृद्धि दर्ज की।

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर के साथ ही कुछ मामलों मे पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

**बिक्री, व्यापार आदि पर करः** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से पहले सभी वस्तुओं पर मूल्य सवंर्धित कर लागू था। राज्य शासन ने 1 जुलाई 2017 से पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईधन, प्राकृतिक गैस एवं मदिरा को छोड़कर सभी वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। 2019–20 की तुलना में 2020–21 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर से प्राप्तियां 7.75 प्रतिशत बढ़ी।

**राज्य वस्तु एवं सेवा करः** 2020–21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से प्राप्तियां 2019–20 की तुलना में 0.38 प्रतिशत बढ़ी, जिसका मुख्य कारण कोविड–19 महामारी के दौरान व्यापार पर कम प्रभाव पड़ना था।

**राज्य उत्पाद शुल्कः** राज्य उत्पाद शुल्क से राजस्व में 6.39 प्रतिशत की कमी का कारण मुख्य रूप से राज्य शासन द्वारा कोविड–19 के दौरान, 1 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों को बंद किया जाना तथा जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर लगाया गया लॉक डाउन था।

**विद्युत कर तथा शुल्कः** उद्योगों से लंबित बकायों की वसूली के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 में कर राजस्व में 27.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

**वाहनों पर करः** कोविड–19 महामारी के कारण 2020–21 के दौरान राजस्व में 9.95 प्रतिशत की कमी आई।

**माल तथा यात्री करः** वर्ष 2020–21 में 97.11 फीसदी की वृद्धि हुई थी। विभाग से राजस्व वृद्धि के कारणों का अनुरोध किया गया था (मई 2022)। उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

**स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क:** वर्ष 2020–21 में कर राजस्व में 3.04 प्रतिशत की कमी हुई क्योंकि पिछले वर्ष खनन पट्टों से प्राप्तियों के कारण राजस्व में समुचित वृद्धि हुई थी जबकि 2020–21 के दौरान प्राप्तियां सामान्य थीं।

### *3.2.2 कर–भिन्न राजस्व*

वर्ष 2020–21 के कर–भिन्न राजस्व का विच्छेद **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4 वर्ष 2020–21 के कर–भिन्न राजस्वों का विच्छेद ( ₹ करोड़ में)

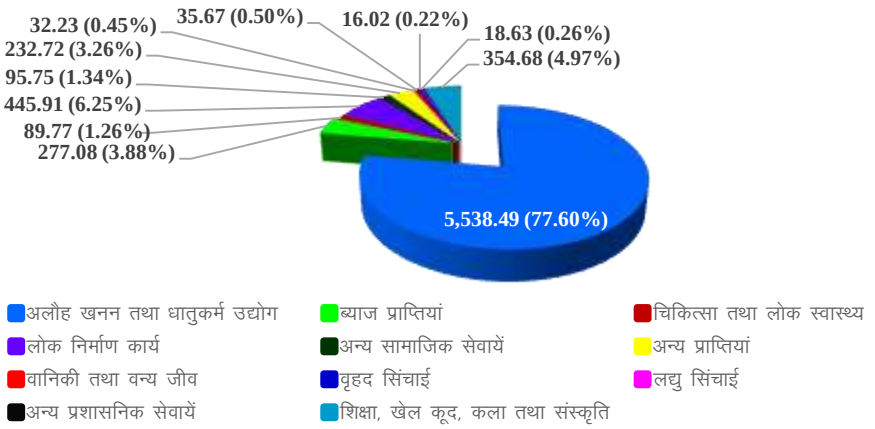


वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान उद्ग्रहित कर–भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.3: शासन द्वारा उद्ग्रहित कर–भिन्न राजस्व का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| राजस्व शीर्ष | | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2019–20 की तुलना में 2020–21 में अन्तर का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | **बजट अनुमान** | 5,500.00 | 5,600.00 | 6,000.00 | 6,500.00 | 6,670.00 | (–) **10.60** |
| | **वास्तविक** | 4,141.47 | 4,911.44 | 6,110.24 | 6.195.73 | 5,538.49 | |
| वानिकी तथा वन्य जीव | **बजट अनुमान** | 550.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 700.00 | (+) **11.11** |
| | **वास्तविक** | 405.15 | 291.17 | 236.73 | 249.37 | 277.08 | |
| ब्याज प्राप्तियाँ | **बजट अनुमान** | 249.38 | 137.25 | 132.93 | 126.83 | 194.49 | (–) **61.37** |
| | **वास्तविक** | 157.24 | 180.44 | 189.55 | 232.41 | 89.77 | |
| वृहद सिंचाई | **बजट अनुमान** | 586.47 | 703.68 | 738.89 | 791.67 | 749.94 | (+) **2.03** |
| | **वास्तविक** | 437.35 | 461.23 | 521.81 | 437.04 | 445.91 | |
| लघु सिंचाई | **बजट अनुमान** | 288.34 | 288.34 | 302.76 | 324.39 | 330.42 | (–) **19.06** |
| | **वास्तविक** | 180.84 | 121.73 | 164.06 | 287.54 | 232.72 | |
| चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | **बजट अनुमान** | 15.93 | 29.33 | 45.99 | 44.73 | 62.10 | (+) **7.72** |
| | **वास्तविक** | 46.50 | 52.56 | 52.86 | 88.88 | 95.75 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लोक निर्माण कार्य | **बजट अनुमान** | 43.72 | 73.70 | 43.00 | 50.00 | 95.83 | (–) **29.92** |
| | **वास्तविक** | 41.12 | 54.29 | 73.57 | 45.98 | 32.23 | |
| अन्य प्रशासनिक सेवायें | **बजट अनुमान** | 23.69 | 65.43 | 42.82 | 28.41 | 47.34 | (–) **0.22** |
| | **वास्तविक** | 36.66 | 39.81 | 42.10 | 35.75 | 35.67 | |
| अन्य सामाजिक सेवायें | **बजट अनुमान** | 4.30 | 30.00 | 30.00 | 20.50 | 11.01 | (–) **4.22** |
| | **वास्तविक** | 28.71 | 17.42 | 8.12 | 16.73 | 16.02 | |
| शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | **बजट अनुमान** | 7.60 | 6.97 | 28.03 | 21.20 | 16.09 | (+) **24.59** |
| | **वास्तविक** | 27.04 | 17.15 | 14.04 | 14.83 | 18.63 | |
| अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ | **बजट अनुमान** | 150.71 | 169.50 | 205.58 | 317.27 | 337.38 | (+) **7.64** |
| | **वास्तविक** | 167.17 | 193.18 | 289.94 | 329.51 | 354.68[5] | |
| **योग** | **बजट अनुमान** | **7,420.14** | **7,704.20** | **8,170.00** | **8,825.00** | **9,214.00** | (–) **10.04** |
| | **वास्तविक** | **5,669.25** | **6,340.42** | **7,703.02** | **7,933.77** | **7,136.95** | |

*(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)*

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर एवं कुछ मामलों में पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

**अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः** वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति में 10.61 प्रतिशत की कमी हुई और लक्षित राशि को भी घटाकर ₹ 5,500 करोड़ किया गया।

**वानिकी तथा वन्य जीवः** पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में प्राप्तियों में 11.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, चूंकि कूपों में कटाई और परिवहन निर्धारित समय में किया गया।

**लघु सिंचाईः** इस शीर्ष के तहत प्राप्तियों में 2020–21 में 19.06 प्रतिशत की कमी औद्योगिक संस्थाओं और स्थानीय निकायों के द्वारा जलकर जमा न करने के कारण हुई। साथ ही, किसानों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर भुगतान से छूट भी दी गई थी।

[5] अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों में वर्ष 2020–21 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित है: लाभांश तथा लाभ (₹ 2.29 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 8.25 करोड़); पुलिस (₹ 29.06 करोड़); जेल (₹ 4.89 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 1.99 करोड़); पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 61.84 करोड़); विविध सामान्य सेवायें (₹ 75.20 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.00 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 5.06 करोड़); आवास (₹ 4.77 करोड़); नगर विकास (₹ 10.20 करोड़); सूचना एवं प्रचार (₹ 0.04 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 22.46 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 13.34 करोड़); फसल कृषि कर्म (₹ 23.23 करोड़); पशुपालन (₹ 9.72 करोड़); मछली पालन (₹ 5.77 करोड़); खाद्य भंडारण तथा भंडागारण (₹ 1.30 करोड़); सहकारिता (₹ 2.88 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 1.86 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 37.70 करोड); मध्यम सिंचाई (₹ 5.16 करोड़); ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (₹ 2.84 करोड़); उद्योग (₹ 12.08 करोड़); नगर विमानन (₹ 0.00 करोड़); सड़क तथा पुल (₹ 0.89 करोड़) एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 11.86 करोड़)।

**वृहद सिंचाईः** वर्ष 2020–21 में 2.03 प्रतिशत की वृद्धि कोरबा एवं रायपुर नगर निगम के द्वारा शेष जलकर की राशि जमा करने के कारण हुई। बजट अनुमान के सापेक्ष कर वसूली में कमी (40.54 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा छूट दिये जाने एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, द्वारा जल कर के बकाया राजस्व का भुगतान नहीं करने के कारण हुई।

**शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृतिः** पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान राजस्व में 24.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके कारणों हेतु विभाग से अनुरोध किया गया था (मई 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

**अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँः** 2020–21 में 7.64 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः पुलिस, विविध सामान्य सेवाओं, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मत्स्य पालन, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रमों , अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और उद्योग प्रमुखों के तहत राजस्व में वृद्धि के कारण हुई।

## 3.3 लेखापरीक्षा प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से व्युत्पन्न होते हैं। नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकार की प्राप्तियों को डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करते हैं।

## 3.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

निम्नलिखित **प्रवाह चित्र** योजना, लेखापरीक्षा का संचालन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने की प्रक्रिया को दर्शाता है।

**चार्ट–3.5 योजना, लेखापरीक्षा का संचालन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी**

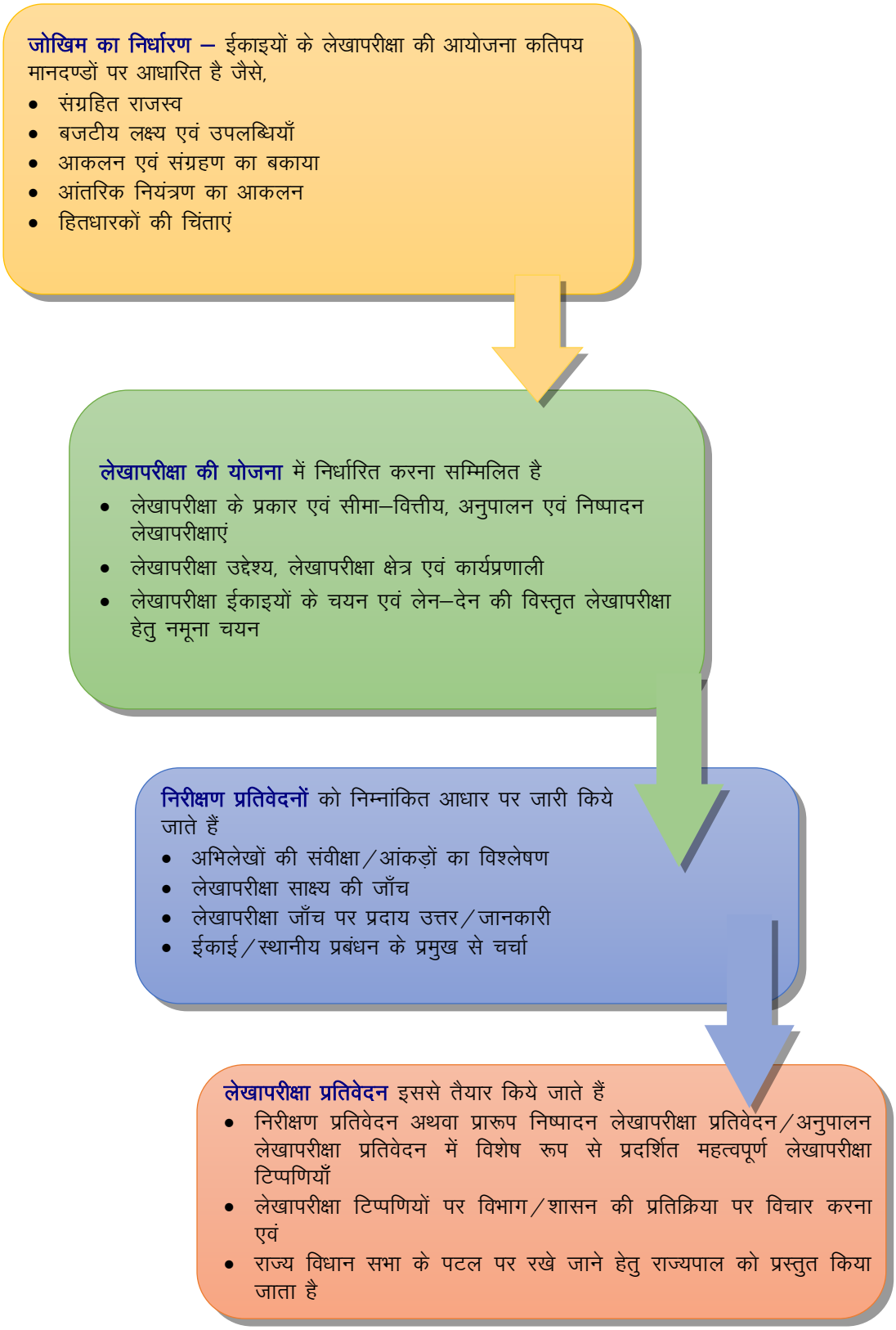


प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर ईकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन एक माह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निवेदन कर जारी किया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जिसे शासन के उच्चतम स्तर पर ध्यान आकृष्ट करने की

आवश्यकता हो, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान सात विभागों के अंतर्गत कुल 544 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों में से 119 ईकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना की बनाई गई जिसमें मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क के आकलन, आरोपण और संग्रह पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 15 ईकाइयों सहित 134 ईकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान दो विभागों[6] के अंतर्गत कुल 222 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों में से 38 ईकाइयों का लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई और वाणिज्यिक कर की ईकाइयों के अलावा 36 ईकाइयों का लेखापरीक्षा किया गया, इसके अलावा वाणिज्यिक कर वस्तु एवं सेवा कर विभाग की ईकाइयों को तीन अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया।

## 3.5 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2021 की स्थिति में छः विभागों का बकाया राजस्व ₹ 9,924.74 करोड़ था, जिसमें से ₹ 4,502.10 करोड़ (45.36 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका 3.4** में वर्णन किया गया है:

**तालिका 3.4: 31 मार्च 2021 की स्थिति में बकाया राजस्व**

*(₹ करोड़ में)*

| स. क्र. | राजस्व शीर्ष | कुल बकाया राजस्व | पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि | बकाया प्रकरणों की वस्तु–स्थिति के संबंध में विभाग का उत्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | विद्युत कर तथा शुल्क | 6,574.47 | 3,218.36 | 10 मामलों मे राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी, आठ प्रकरण न्यायालय में लंबित, तीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश तथा 40 प्रकरण 'अन्य' में लंबित। |
| 2. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 3,208.62 | 1,205.58 | न्यायालय में लंबित (₹ 425.13 करोड़); दोषियों की चल एवं अचल संपत्ति का विवरण नहीं (₹ 201.29 करोड़); 29157 मामलों में आरआरसी जारी, न्यायालय द्वारा स्थगन (₹ 1142.67 करोड़); अन्य राज्यों को जारी आरआरसी (₹ 235.16 करोड़); रूग्ण उद्योग (₹ 23.13 करोड़); बट्टे खाते में डाला गया (₹ 2.20 करोड़); अपील अनुश्रवण में स्थगित राशि (₹ 253.11 करोड़); अन्य अंचलों/मंडलों को भेजी गई आरआरसी की राशि (₹ 24.97 करोड़); फर्मों द्वारा कारोबार बंद करना (₹ 813.88 करोड़) |
| 3. | स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | 68.01 | 31.72 | 763 मामलों में आरआरसी जारी; 96 मामले अदालत में लंबित 10 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश तथा दो प्रकरणों में दोषियों की चल/अचल संपत्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं। |
| 4. | राज्य उत्पाद शुल्क | 56.48 | 43.37 | 109 मामलों में आरआरसी जारी; 19 मामले न्यायालय में विचाराधीन है। |
| 5. | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 0.88 | 0.88 | विभाग ने बताया जनवरी 2022 कि खनन अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर बकाये की वसूली के निर्देश दिये गये हैं। आगे, समीक्षा बैठक में सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने जिलों को निर्देश दिये हैं कि अति पुराने बकाये को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव भेजा जाये। |
| 6. | वाहन कर | 16.28 | 2.19 | न्यायालय में लंबित (0.84 करोड़) |
| **योग** | | **9,924.74** | **4,502.10** | |

*(स्त्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)*

[6] भौमिकी तथा खनिकर्म, वन विभाग

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं वानिकी वन्य जीव से संबंधित विभागों ने मामले को शासन स्तर पर उठाने (जनवरी 2022) के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी। परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में विसंगति थी और इसलिए इसे शामिल नहीं किया जा सका। शासन स्तर पर फॉलोअप किया गया लेकिन कोई सूचना नहीं मिली।

## 3.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

### *3.6.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति*

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधित कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2021 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 1994–95 से 2020–21 के दौरान जारी 2,766 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 11,386 कंडिकाएँ जून 2021 के अंत तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विवरण नीचे **तालिका 3.5** में वर्णित है:

**तालिका 3.5: विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति**

*(₹ करोड़ में)*

| स. क्र. | विभाग का नाम | राजस्व की प्रकृति | निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रकार | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन 2020–21 की संख्या | बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या 2020–21 | सन्निहित राशि 2020–21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क | स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | **राजस्व** | 254 | 757 | 108.94 |
| | | | **व्यय** | 13 | 58 | 26.01 |
| 2. | मोटर वाहन तथा परिवहन | वाहन कर | **राजस्व** | 198 | 1464 | 297.63 |
| | | | **व्यय** | 66 | 145 | 0.33 |
| 3. | वन | वानिकी तथा वन्य प्राणी | **राजस्व** | 429 | 1326 | 1333.33 |
| | | | **व्यय** | 499 | 2621 | 1284.81 |
| 4. | वाणिज्यिक कर | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | **राजस्व** | 537 | 3590 | 728.72 |
| | | | **व्यय** | 73 | 113 | 556.20 |
| 5. | खनन | पंजीकरण शुल्क | **राजस्व** | 174 | 650 | 1435.04 |
| | | | **व्यय** | 61 | 184 | 689.78 |
| 6. | आबकारी | राज्य उत्पाद | **राजस्व** | 165 | 415 | 2247.74 |
| | | मनोरंजन कर | **राजस्व** | 103 | 165 | 4.20 |
| | | उत्पाद एवं मनोरंजन कर | **व्यय** | 50 | 87 | 27.74 |
| 7. | भू–राजस्व | भू–राजस्व | **राजस्व** | 597 | 1886 | 1115.65 |
| | | | **व्यय** | 48 | 122 | 13.82 |
| 8. | ऊर्जा | विद्युत कर तथा शुल्क | **राजस्व** | 21 | 91 | 2348.82 |
| | | | **व्यय** | 7 | 19 | 8031.58 |
| 9. | अन्य कर विभाग | अन्य प्राप्तियाँ | **राजस्व** | 288 | 1042 | 651.19 |
| | | | **व्यय** | 1 | 10 | 0.13 |
| **राजस्व** | | | | **2766** | **11386** | **10271.26** |
| **व्यय** | | | | **818** | **3359** | **10630.40** |
| **योग** | | | | **3584** | **14745** | **20901.66** |

वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा के 36 निरीक्षण प्रतिवेदनों से 30[7] निरीक्षण प्रतिवेदनों (83.34 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए है।

निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं में कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित किये गये गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को निरंतर किए जाने के जोखिम से युक्त है। इससे शासन प्रक्रिया के आंतरिक नियंत्रणों में कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अकुशल एवं अप्रभावी वितरण, धोखा, भ्रष्टाचार एवं सरकारी खजाने को हानि भी हो सकती है।

***राज्य शासन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें तथा जो निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएँ पर उत्तर निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई करें।***

### *3.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें*

शासन लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और कंडिकाओं की प्रगति की निगरानी और उसे त्वरित करने के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन करती है। वर्ष 2020–21 के दौरान खनन विभाग का लेखापरीक्षा समिति की बैठक की गई, जिसमें 230 कंडिकाओं पर चर्चा की गई और 122 कंडिकाओं तथा 12 निरीक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण किया गया।

बकाया कंडिकाओं के निस्तारण के लिए लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित करने का प्रयास किया गया तथा विभागाध्यक्षों के साथ मामले को उठाया गया। हालांकि, 2020–21 के दौरान, कोविड–19 महामारी के कारण, केवल खनन विभाग की लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित की गई।

***राज्य शासन समस्त विभागों को निर्देशित करे कि समय–समय पर आयोजित लेखापरीक्षा समिति बैठकों द्वारा लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निराकरण करे एवं सुनिश्चित करे कि समस्त संबंधित अभिलेख अद्यतन कर लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करें।***

## 3.7 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2020–21 के दौरान वन विभाग से संबंधित 20 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में राजस्व हानि, अन्य अनियमितताएं, अनियमित/निष्फल व्यय आदि के ₹ 185.67 करोड़ की राशि के 1,183 प्रकरण सामने आए। संबंधित विभागों ने 14 मामलों में ₹ 0.74 करोड़ के कम आकलन एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

[7] वन–17; खनिज साधन–13